

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 162 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

उनवान
कालु लाल
बनाम
सुरेश कुमार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 13.09.2022

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित,। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं चाही जाने का निवेदन कर नोट प्रेस किया। अतः वकील प्रार्थी के निवेदन अनुसार प्रार्थना पत्र नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार हो नंबर से कम हो।



(भावना सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

